संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

E_Mail:- registrarsua@yahoo.co.in Phone:- 07774-222790, 222791

क्रमांक : 620 /स्थापना/2025 अम्बिकापुर, दिनांक 31/12/2025

//विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन//

संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा में निम्नलिखित पद पर प्रतियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आंमत्रित किए जाते है:–

स.क्र.	पदनाम	नियुक्ति का प्रकार	कुल पद की संख्या	शैक्षिणक योग्यता
1	विश्वविद्यालय यंत्री	प्रतिनियुक्ति/संविदा	01	बी.ई (सिविल/समकक्ष)

1. विश्वविद्यालय यंत्री पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ शासन के विभागों/निगम/ मण्डलों अथवा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री के पद पर कम से कम 10 वर्ष का भवन निर्माण इत्यादि का कार्यानुभव होना आवश्यक है। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शासन के विभागों/निगम/मण्डलों अथवा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कार्यपालन यंत्री को प्रथमिकता दी जाएगी। कार्यपालन यंत्री के आवेदन प्राप्त न होने पर सहायक यंत्री के आवेदनों पर विचार किया जायेगा।
2. प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक के विरूद्ध विभागीय जांच/प्रस्तावित नहीं है, तदाशय का घोषणा–पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कराना होगा। घोषणा पत्र के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
3. उक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ शासन के विभागों/निगम/मण्डलों अथवा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं से सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री (जिनका न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री पद पर अनुभव रहा हो) आवेदन कर सकेंगे।
4. सेवानिवृत्त उपरांत संविदा के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी होने के दिनांक को 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवक आवेदन हेतु पात्र नहीं होगें। विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आगामी 01 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय/निगम/मण्डल/अर्द्धशासकीय विभागों की सेवा में कार्यरत अधिकारी आवेदन कर सकेंगे।
5. उक्त पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 02 वर्ष एवं संविदा की अवधि 01 वर्ष के लिये होगी। कार्य व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर एवं संबंधित विभाग की सहमति से इसमें 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।
6. कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा विश्वविद्यालय को सेवाओं की आवश्यकता न होने पर कभी भी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर सेवायें मूल विभाग को वापस की जा सकेगी एवं संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. आवेदन के संबंध में कुलसचिव, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. विश्वविद्यालय यंत्री के पद हेतु गठित चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन संबंधी कार्यवाही संपादित की जायेगी। चयन की किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का सर्वाधिकार कुलसचिव, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) को होगा।
9. प्रतिनियुक्ति/संविदा हेतु इच्छुक आवेदक दिनांक 31.01.2026 कार्यालीन समय में सायं 5.30. बजे तक E-mail:Registrarsua@yahoo.co.in डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से सीधे कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। समय– सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर नियुक्ति से संबंधित मापदण्ड सेवा शर्ते तथा वेतन/भत्ते इत्यादि एवं चयन प्रकिया, आवेदन–पत्र/घोषणा–पत्र का प्रारूप सह विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट Website: www.sggcg.in पर देखी जा सकती है।

कुलसचिव
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय
अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

E_Mail:- registrarsua@yahoo.co.in Phone:- 07774-222790, 222791

कमांक 620/2225/ प्रशा./स्था./यंत्री / अम्बिकापुर दिनांक 31 /12/2025

:: मापदण्ड एवं सेवा –शर्तें ::

1 विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु मापदण्ड/सेवा शर्ते :–

(1.1) विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ शासन के विभागों/निगम/मण्डलों अथवा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री के पद पर कम से कम 10 वर्ष का भवन निर्माण इत्यादि का कार्यानुभव होना आवश्यक है। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शासन के विभागों/निगम/मण्डलों अथवा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कार्यपालन यंत्री को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यपालन यंत्री के आवेदन प्राप्त न होने पर सहायक यंत्री के आवेदनों पर विचार किया जायेगा।

(1.2) प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक को आवेदन के साथ अपने मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(1.3) प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक के विरूद्ध विभागीय जॉच लंबित/प्रस्तावित नहीं है, तदाशय का घोषण–पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त घोषणा पत्र के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(1.4) प्रतिनियुक्ति की अवधि 02 वर्ष के लिये होगी। कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथाव विश्वविद्यालय को सेवाओं की आवश्यकता न होने पर कभी भी प्रतिनियुक्ति सताप्त कर सेवायें मूल विभाग को वापस की जा सकेगी।

(1.5) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पर छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 लागू होंगे।

(1.6) विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त विश्वविद्यालय यंत्री को वेतन, भत्ते इत्यादि उनके मूल विभाग के अनुरूप प्रदाय किये जायेंगे।

(1.7) इस पद की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में योग्य/न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यार्थियों को गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभााग से सेवा काल के अंतिम पॉच वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिग एवं विभागीय जॉच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जायेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिग में कम से कम 03 वर्ष में "क" एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में "घ" न हो के अनुरूप होना चाहिए

2. विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु मापदण्ड एवं सेवा शर्तें:–

(2.1) विश्वविद्यालय यंत्री पद हेतु छत्तीसगढ़ शासन के विभागों/निगम/मण्डलों अथवा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री (जिनका न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री पद अनुभव रहा हो) आवेदन कर सकेंगे।

(2.2) सेवानिवृत्त उपरांत संविदा के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी होने के दिनांक से 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके आवेदक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आगामी 01 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय/निगम/मडण्ल/अर्द्धशासकीय विभागों की सेवा में कार्यरत अधिकारी आवेदन कर सकेंगे।

(2.3) उक्त पद पर संविदा अवधि 01 वर्ष के लिये होगी। कार्य व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर एवं दोनो पक्षों की सहमति से इसमें 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।

(2.4) ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के अधीन सेवानिवृत्त हुये आवेदनकर्ता को नियुक्ति पश्चात् संविदा वेतन छ.ग. सिविल सेवा पदों पर संविदा पर नियुक्ति नियम–2017 के अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त कार्यपालन यंत्री को सेवानिवृत्त के समय प्राप्त मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा। पृथक से अन्य कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।

(2.5) एनपीएस (NPS) एवं अन्य ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो कि ओ.पी.एस. से सेवानिवृत्त नहीं हुए है के चयन उपरांत उन्हें सेवानिवृत्त के समय प्राप्त अंतिम मासिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि को पेंशन राशि माना जाकर देय पारिश्रमिक की गणना की जाकर (उक्त गण्ना सेवानिवृत्त के समय जारी अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र के आधार पर की जावे अर्थात सेवानिवृत्त के पश्चात् आगामी माहों से महंगाई भत्ते (डी.ए.) के प्रावधान लागू नहीं होगें।) संविदा वेतन/मानदेय प्रदाय किया जायेगा। भविष्य में NPS एवं जिन विभागों/निगमों/ मंडलो आदि में छ.ग. शासन के नियमों के अनुरूप पेंशन का प्रावधान नहीं है। एवं अन्य के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुये अधिकारी/कर्मचारी की संविदा नियुक्ति उपरांत वेतन निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आगामी नियम/निर्देश लागू कियें जायेंगे।

(2.6) संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति पर छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 लागू होंगे।

(2.7) संविदा नियुक्ति उपरांत चयनित आवेदक को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन ,उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि भी देय नहीं होगी।

(2.8) संविदा नियुक्ति उपरांत चयनित आवेदक स्वयं के खर्च पर जिला चिकित्सालय बोर्ड द्वारा किये जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाकर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी अन्यथा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(2.9) संविदा नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्षकार द्वारा एक माह का सूचना पत्र अथवा एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(2.10) संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिवस तक प्रभावशील होगा इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा। विशेष एवं अपरिहार्य कारण होने पर कुलसचिव उक्त अवधि में छूट दे सकेंगे।

(2.11) संविदा पर नियुक्त अधिकारी को शासन के नियमानुसार गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता होगी।

(2.12) यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।

(2.13) संविदा पद नियुक्त अधिकारी को छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य, प्रशासन विभाग के नियमों के अंतर्गत अवकाश की पात्रता होगी।

(2.14) चयन के उपरांत चयनित अभ्यर्थी को न्यूनतम रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 01 वर्ष के लियें अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा।

(2.15) संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ,सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा–निर्देश लागू होंगे।

3. प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त अधिकारी को पूर्णकालिक रूप से विश्वविद्यालय में कार्यालयीन समय पर उपस्थित रहकर कार्य दायित्व निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

4. विश्वविद्यालय यंत्री पद हेतु प्राप्त आवेदन एवं नियुक्ति के संबंध में कुलसचिव, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5. विश्वविद्यालय यंत्री पद हेतु गठित चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन संबंधी कार्यवाही संपादित की जायेगी। चयन के किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का सर्वाधिकार कुलसचिव, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) को होगा।

कुलसचिव

संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय

अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

आवेदन प्रपत्र

(विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप)

वर्तमान की रंगीन, स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें

1. आवेदित पद का नाम :– ....(Please Tick)

1. प्रतिनियुक्ति ☐ **2. संविदा** ☐

2. आवेदक का नाम :– ....

3. पिता/पति का नाम :– ....

4. जन्मतिथि :– (अंको में)........../................../..............(शब्दो में)..................................

....

(10वीं/12वीं परीक्षा की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

5. आयु :– आयु (वर्ष..............................माह..........................दिवस............................)

6. श्रेणी :– अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनताति

OBC/SC/ST उम्मीदवार जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें

7. स्थायी पता :– ....

....

8. वर्तमान पता :– ....

....पिन कोड.................

9. शैक्षणिक योग्यता :– ....

.... पिन कोड ....

10. सेवा एवं अनुभव का विवरण)

(i) मूल विभाग/वह विभाग (जिसमें सेवानिवृत्त हुये) :– ....

(ii) प्रथम नियुक्ति दिनांक :– ....

(iii) विभाग/संस्था का विवरण :– ....

(iv) यदि कार्यरत हैं तो वर्तमान पद :– ....

(v) यदि सेवानिवृत्त हुये हैं तो उस पद का नाम जिसमें सेवानिवृत्त हुये हैं। :– ....

(vi) सेवानिवृत्त के समय मूल वेतन :– ....

(vii) यदि सेवानिवृत्त हैं तो अंतिम वेतन :– ....

(वर्तमान पे–स्लिप एवं एलपीसी/पीपीओ की प्रति संलग्न करें।)

(viii) यदि कार्यरत हैं तो वर्तमान वेतनमान :– ....

(ix) वर्तमान मूल वेतन :– ....

(नवीन पे–स्लिप की प्रति संलग्न करें।)

11. पदवार अनुभव (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक)

(कृपया उस पद से शुरू करते हुये अनुभव सूचीबद्ध करें जिस आपने पहली बार ज्वाईनिंग दी थी)

सरल क्रमांक	**विभाग का नाम**	**पदनाम**	**अवधि**		**भवन निर्माण इत्यादि कार्य का कार्यालयीन अनुभव वर्ष, माह, दिवस**
			कब से	**कब तक**	

12. नियमित सेवा की कुल अवधि
(विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक) :— वर्ष.............................माह..............................दिवस..............................

13. कुल सेवा अवधि भवन निर्माण
इत्यादि कार्य में
कार्यपालन यंत्री के पद पर :— वर्ष.............................माह..............................दिवस..............................

14. .कुल सेवा अवधि भवन निर्माण
इत्यादि कार्य में
सहायक यंत्री के पद पर :— वर्ष.............................माह..............................दिवस..............................

15. पेन कार्ड नम्बर :— ....

16. मोबाईल नम्बर :— ....

17. ई—मेल आई डी :— ....

नोट :— समस्त आवश्यक दस्तावेज स्व—प्रमाणित कर संलग्न करें।

(आवेदक का हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :— ....

....

मोबाईल नम्बर :— ....

....

"घोषणा–पत्र"

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई अपराधिक कार्यवाही या विभागीय जाँच लम्बित नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन–पत्र और असके अनुपूरक भागों तथा प्रमाणक संलग्नों मे दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि भविष्य में किसी भी समय मेरे द्वारा आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो उस पद के लिए मेरा चयन निरस्त किया जा सकता है और उचित कार्यवाही की जा सकती है। मैने पहले ही अनुमति के लिए अपने मूल विभाग को सूचित कर दिया है।

दिनांक :–

स्थान :–

(आवेदक का हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम :– ....

....

मोबाईल नम्बर :– ....

....